संख्या-1640/बयालिस-2023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक 29/07/2023

विषयः- के0डी0 सिंह "बाबू" स्टेडियम लखनऊ स्थित तरणताल को कवर्ड किये जाने का कार्य तथा तरणताल के जीर्णोद्धार के कार्य को एक साथ कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-166/नि0 लखनऊ स्टे0 पत्रा0/2023-24, दिनांक 10.05.2023 व शासनादेश संख्या-707/बयालिस-2021-14(बजट)/2019, दिनांक 26.03.2021, शासनादेश संख्या-162/बयालिस-2022-14(बजट)/2019, दिनांक 07.02.2022, शासनादेश संख्या-2023/001-428422023, दिनांक 02.02.2023 एवं शासनादेश संख्या-2023/001-707422022, दिनांक 24.03.2023 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0डी0 सिंह ''बाबू'' स्टेडियम लखनऊ स्थित तरणताल को कवर्ड किये जाने का कार्य तथा तरणताल के जीर्णोद्धार के कार्य को एक साथ कराये जाने हेतु उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन को आंकलित करते हुए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रायोजना की लागत रू0 1022.47 लाख जी0एस0टी0 सहित की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जा चुकी है। जी0एस0टी0 की दरों में संशोधन (दिनॉक 18-7-2022 से) के फलस्वरूप 06 प्रतिशत अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 27.78 लाख को प्रायोजना की पूर्व लागत रू0 1022.47 लाख में जोडते हुए उक्त कार्य की कुल लागत रू0 1050.25 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 17 मार्च 2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल /कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है निदेशक, खेल / कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण किया जायेगा।

(6) प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो, इस हेतु शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(8) शासनादेश संख्या-707/बयालिस-2021-14(बजट)/2019, दिनांक 26 मार्च, 2021, शासनादेश संख्या-162/बयालिस-2022-14(बजट)/2019, दिनांक 07.02.2022, शासनादेश संख्या-2023/001-428422023, दिनांक 02.02.2023 एवं शासनादेश संख्या-2023/001-707422022, दिनांक 24.03.2023 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(9) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई0-5-54-x-2023-2024, दिनॉक 27 जुलाई, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

नवनीत सहगल

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1640(1)/बयालिस-2023 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- जिलाधिकारी, लखनऊ।

5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

विनीत प्रकाश

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।